सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 292 राँची, मंगलवार, 2 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

12 मई, 2026

संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2817--विभागीय अधिसूचना संख्या 2571 सह-पठित अधिसूचना ज्ञापांक 2600 दिनांक 30.04.2026 द्वारा **मो० मुमताज अली अहमद,** झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 862/03, गृह जिला- हजारीबाग), उप निदेशक जनजातीय कल्याण एवं कार्यक्रम आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड) को दिनांक 27.12.2023 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

2. उक्त वर्णित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए **"श्री महतो"** के स्थान पर **"मो० अहमद"** पढ़ा जाय ।

3. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 292 - 50